06-पार-B.

संख्या– /XXXVI(1)/2015–135 जी/2001-Vol-I

प्रेषक,

कहकशा खान,
अपर सचिव, न्याय एवं अपर विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

न्याय अनुभाग–1

देहरादून : दिनांक 18 अगस्त, 2015

विषय : जिला हरिद्वार में सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के रिक्त हुए पद पर नया पैनल उपलब्ध कराया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0–8981/न्याय अनु0/ADGC(Cr)/14 दिनांक 19–12–2014 के संदर्भ में अवगत कराना है कि जिला हरिद्वार में आबद्ध सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) श्री राम सिंह राणा का कार्यकाल अधिवर्षता पूर्ण होने के उपरान्त शासन को पैनल भेजा गया था।

2– इस संबंध में अवगत कराना है कि शासन द्वारा उक्त पद पर पुनः नये पैनल मांगे जाने का निर्णय लिया गया है। अतः उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सहायक जिला शासकीय अधिवता (फौजदारी), हरिद्वार के उक्त रिक्त पद पर विधि परामर्शी निदेशिका के निम्नलिखित प्रस्तरों में उल्लिखित व्यवस्थानुसार पैनल मा0 जिला न्यायाधीश की राय सहित शीघ्र शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें:–

प्रस्तर–7.03 (1) जब कभी किसी जिलें में जिला सरकारी अभिवक्ता का पद तीन माह के भीतर रिक्त होने वाला हो या कोई नया पद सृजित हुआ हो, संबंधित जिला अधिकारी विधिज्ञ वर्ग संस्था (बार) के सदस्यों को रिक्ति के बारे में सूचित करेगा। विचार किये जाने के योग्य वे सदस्य होंगे, जिन्होंने जिला सरकारी अभिवक्ता की दशा में **10 वर्षो** तक विधि व्यवसाय किया हो। जिला अधिकारी ऐसे सदस्यों से अपेक्षा करेगा, जो किसी विशेष पद पर नियुक्ति हेतु अपने नाम पर विचार करना चाहतें हों कि वे उसे अपने नाम, और ऐसे विवरण दें, जैसे आयु, विधिज्ञ वर्ग संस्था (बार) में किये गये विधि व्यवसाय की अवधि, हिन्दी में प्राप्त योग्यतायें, पिछले तीन वर्षो में विधि व्यवसाय की आय पर उनके द्वारा किये गये आयकर की धनराशि और यदि आयकर न लगाया गया हो, तो उनके द्वारा भेजी गयी आयकर विवरणी, यदि कोई हो, दो वर्षो की कार्यवाही के दौरान उनके द्वारा किये गये कार्य का न्यायालय द्वारा यथाविधि सत्यापित ब्योरा और यह सूचना कि क्या उन्होंने आपराधिक, सिविल और राजस्व सम्बन्धी विधि कार्य किया है।

क्रमशः–2

प्रस्तर–7.03 (3) इस प्रकार के नामों पर जिला अधिकारी जिला न्यायाधीश से परामर्श करके विचार करेगा। जिलाधिकारी वर्तमान पदधारियों (अतिरिक्त, सहायक जिला सरकारी अभिवक्ता) यदि कोई हो, के दावों पर उचित रूप से विचार करेगा,और गोपनीय रूप से **वरीयता के कम में प्रत्येक पद के लिये 03 विधि व्यवसायियों के** नाम विधि परामर्शी को भेजेगा और इसके साथ ही **विशेष रूप से प्रत्येक अभ्यर्थी के चरित्र, व्यावसायिक आचरण तथा सत्यनिष्ठा के विषय में अपनी राय** तथा प्रत्येक अभ्यर्थी की **उपयुक्तता और गुणावगुण के विषय में जिला न्यायाधीश की राय** भी भेजेगा। जिला अधिकारी विधि परामर्शी को अपनी सिफारिशें भेजते समय अन्य अभ्यर्थियों द्वारा दिये गये विवरण (biodata) तथा अपने और जिला न्यायाधीश द्वारा की गयी ऐसी टीकाओं को भेजेगा, जो वह उचित समझे। सिफारिशें करते समय अभ्यर्थी की, यथास्थिति सिविल, अपराधिक या राजस्व विधि की और हिन्दी की प्रवीणता पर विशेष रूप से ध्यान दिया जायेगा।

प्रस्तर–7.05 शासन के सदस्यों, विधि परामर्शी या उसके अधीन कार्य करने वाले किसी अधिकारी से किसी अभ्यर्थी की ओर से उसके समर्थन में किया गया मतार्थन अथवा भेंट उसे ऐसी नियुक्ति से अनर्ह कर देगा।

भवदीया,

(कहकशा खान)
अपर सचिव

संख्याः 06-चार-B.(1) /**XXXVI(1)**/2015–135 जी/2001-vol-1 तददिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
2– जिला न्यायाधीश, हरिद्वार।
3– वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार।
4– सम्बन्धित अधिवक्ता।
5– एन.आई.सी./गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(हेमन्त सिंह)
संयुक्त सचिव